Legal Express: An International Journal of Law **ISSN 2394-465X**
Vol.VI, Issue-IV December 2020

कुरान शरीफ की उत्पत्ति, महत्व एवं मुस्लिम विधि में योगदान

डॉ. सुहेल अजीम कुरैशी*

सारांश

इस्लाम में अलकुरान की उत्पत्ति पैगम्बर मोहम्मद साहब के आगमन के पश्चात हुई है एकांतवास के दौरान इबादत एवं चिंतन पश्चात अल्लाह के 'वही' दैवीय संदेश प्राप्त होने लगे। जिनमें कुरान में उल्लेखित शब्दों/ कलाम में अल्लाह के संदेश व आज्ञा के रूप में मान्य है। जिसको कि विश्व का प्रत्येक मुसलमान मानने व पालन करने हेतु बाध्य हैं। कुरान ग्रंथ को पूरे विश्व का मुस्लिम समाज समय व महत्व की दृष्टि से प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में मानते हैं। कुरान आज भी बिना किसी परिवर्तन के उपलब्ध होकर सर्वमान्य है। इसका उद्देश्य व महत्व यह है कि समाज में व्याप्त कुरीतियों, त्रुटियों को खत्म करना व सुधार करना है। इस्लाम में कुरान मुस्लिम विधि का जन्मदाता होकर मुस्लिम विधि का प्राथमिक मूल प्रमुख स्त्रोत है। विभिन्न न्यायालयों के अभिमतानुसार कुरान का निर्वचन व अर्थान्वयन करने में कुरान से भिन्न अर्थ नहीं निकाला जा सकता। मुसलामानों का कुरान एक मात्र धार्मिक ग्रंथ होकर उसके अंतर्गत अल्लाह एक है तथा उनके रसूल पैगम्बर साहब है, यह मुस्लिम विधि का आवश्यक तत्व है। कुरान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अमान्य है।

बीजशब्द: कुरान, मुस्लिम, विधि

प्रस्तावना

इस्लाम में अलकुरान की उत्पत्ति पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब के आगमन से हुई है। पैगम्बर साहब का जन्म शहर मक्का शरीफ में उन्तीस अगस्त पांच सौ सत्तर ईस्वी में हुआ था। (अमीर अली के अनुसार)

पैगम्बर साहब के पूर्व का काल ऐयामेजाहिलिया अर्थात विभिन्न प्रकार की त्रुटि व कुरीतियों के काल के रूप में जाना जाता है। पैगम्बर साहब हजरत इब्राहिम के वंशज थे। पैगम्बर साहब के बचपन में ही माता-पिता के देहान्त के पश्चात उनका पालन-पोषण उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब द्वारा किया गया। दादा की मृत्यु के पश्चात उनका पालन-पोषण उनके चाचा अबु तालिब ने किया था। पैगम्बर साहब 15 वर्ष की आयु से ही अपना समय चिंतन में लगाते हुए पच्चीस वर्ष की आयु में हिरा नामक गुफा में एकांतवास में चले गए थे। वहां इबादत व चिंतन के दौरान अल्लाह के वही (देवीय संदेश) मिलना प्रारम्भ हो चुके थे। पैगम्बर साहब को इस्लाम के विकास व समाज सुधारक अर्थात रसूल के रूप में माना जाता है। सन् 622 में समाज सुधार प्रयासों के कारण मक्का के लोगों ने विरोध स्वरूप उन्हें वहां से निकाल दिया था। तब वह अन्य शहर मदीना शरीफ चले गये थे। वहां के लोगों ने उनके आगमन का स्वागत किया।

कुरान मुस्लिम विधि का जन्म दाता है मुस्लिम विधि कुरान शरीफ पर ही आधारित है अर्थात कुरान ही मुस्लिम विधि का जन्मदाता है। कुरान में उल्लेखित शब्दों को अल्लाह का संदेश व आज्ञा माना जाता है। इस ग्रंथ को मुसलमान व मुस्लिम समाज समय एवं महत्व की दृष्टि से सर्वोच्च प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। इसमें तीस सिपारे 114 सूरे 6666 आयतें हैं। जिनमें से दो सौ आयतें विधिक सिद्धांतों से संबंधित हैं। उन्हीं में से 80 आयतें निकाह, मेहर, तलाक, विरासत व सम्पत्ति अर्थात अन्य पारिवारिक विधि से संबंधित है। तथा अन्य मुद्दों व व्यवस्थाओं से संबंधित है। कुरान में जो भी लिखा है वह पैगम्बर साहब के माध्यम से भेजे गए खुदा के वही

* प्राचार्य, चौधरी दिलीप सिंह लॉ कॉलेज, भिण्ड; सदस्य, विधि अध्ययन मण्डल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

(देवीय संदेश) है। अतः मुस्लिम व्यक्तिगत विधि में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन या संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है।

कुरान की उत्पत्ति

कुरान की उत्पत्ति सन् 609 से लेकर सन् 632 ईस्वी तक 23 वर्षो में हुई। कुरान की उत्पत्ति पैगम्बर साहब के हिरा नामक गुफा में इबादत एवं चिंतन के पश्चात अल्लाह के 'वही' के रूप में देवीय संदशों की प्राप्ति के अंतर्गत कुरान की अलग-अलग आयतें प्राप्त हुई हैं। कुरान स्वंय पूर्ण संहिता के रूप में या वर्तमान में जिस रूप में उपलब्ध है, न होकर अलग-अलग खण्डों में कुरान के प्रकटीकरण के रूप में उत्पत्ति हुई है।

जो कि पैगम्बर साहब के जीवनकाल में संग्रहितीकरण, क्रमबद्धकरण पूर्व से नहीं हो पाया। कुरान में पैगबर साहब को अल्लाह एवं जिब्राईल फरिश्ते के माध्यम से दिये गये। दैवीय संदेशों के रूप में निहित है। जिसको कि पैगम्बर साहब के अनुयायियों द्वारा उनके व्यक्गित निर्देश पर ही अध्यायबद्ध किया गया है।

हिज्री सन् 1 लेकर दस. तक अर्थात छः सौ बाईस से लेकर छः सौ बत्तीस ईस्वी तक के काल को इस्लामिक विधिक काल भी कहा जाता है। इसी काल में मौहम्मद साहब को अल्लाह के कई विधिक संदेश मिलना प्राप्त हुए। छः सौ नौ ईस्वी में मक्का में प्रथम संदेश प्राप्त हुआ था। इसके बाद पैगम्बर साहब की मृत्यु (पर्दा) करने के पश्चात प्रथम खलीफ़ा अबू बकर ने सन छ सौ चौंतीस ईस्वी में प्रथम बार कुरान के विभिन्न लेखांशों का संग्रह करवाया। फिर सोलह साल बाद तीसरे खलीफ़ा उस्मान ने कुरान का पुनर्वालोकन करवाया। पुनर्वालोकन के दौरान व्यवस्थित अध्यायबद्ध करने का कार्य जैद पुत्र हजरत साबित, अब्दुल्ला पुत्र जुबैद, सईद पुत्र ऑस एवं अब्दुल रहमान पुत्र हैरिस ने करते हुए कुरान का संकलन किया, इस प्रकार खलीफ़ा उस्मान द्वारा तैयार करवाई गई कुरान बिना किसी परिवर्तन के आज भी उपलब्ध है। संसार में ऐसी कोई भी धार्मिक एवं दैवीय ग्रंथ नहीं है जो उत्पत्ति से लेकर आज दिनांक तक अपने मूल रूप में ही बनी हुई है। (सर विलियम्स म्योर लाईफ ऑफ़ मुहम्मद प्रथम भाग)

खलीफ़ा उस्मान द्वारा 650 ईस्वी में कुरान की प्रतिलिपि तैयार कर प्रमाणित प्रतिलिपि प्रकाशित करवाई गई। इसी कुरान को आज भी प्रमाणिक कुरान माना जाता है। कुरान के रूप में विधिक नियम एवं सिद्धांत सातवीं शताब्दी के मुस्लिम समाज की देन है। खलीफ़ा उस्मान के द्वारा प्रामाणिक लिपि प्रकाशित करने के बाद विभिन्न चरणों व खण्डों में तैयार की गई। कुरान के पूर्व की पुस्तकों को जलाकर तथा पानी में बहाकर नष्ट कर दिया गया। यही कारण है कि आज भी संसार में प्रत्येक जगह यही कुरान उपलब्ध है इस प्रकार सन् 650 ईस्वी से कुरान की प्रामाणिक लिपि प्रकाशित होने के बाद कुरान मुस्लिम विधि के मूल स्त्रोत के रूप में जाना जाता है।

कुरान की प्रत्येक आयतें/ शब्दों के रूप में सिर्फ अल्लाह की आज्ञाऐं हैं जिनका पालन करना प्रत्येक मुस्लिम का धार्मिक नैतिक एवं विधिक कर्तव्य है अर्थात् उन आज्ञा रूपी कुरान को शब्दशः मानने के लिए बाध्य हैं। कुरान का अल्लाह के कलाम के रूप में इस्लाम में मान्यता प्रदान की गई है यही कारण है मुस्लिम विधि में जब भी कोई परिवर्तन की बात की जाती है तो मुसलमानों व सम्पूर्ण मुस्लिम समाज के कड़े विरोध का सामना करना होता है। कुरान अरबी भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। जिसके अंतर्गत अन्तर्वस्तु अरबी भाषा में लिपिबद्ध हैं।

कुरान का महत्व

समय व महत्व की दृष्टि से कुरान मुसलमानों का सर्वोच्च एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ होकर मुस्लिम विधि का प्रधान स्त्रोत है। इसमें पैगम्बर साहब को 'वही' के रूप में प्राप्त अल्लाह के शब्दों को ही अंतर्विष्ट किया गया है। तैयबजी के अनुसार कुरान संहिता न होकर संशोधी अधिनियम है। मूलरूप से इसका उद्देश्य समाज सुधार होकर समाज में फैली कुरीतियों व त्रुटियों को दूर करना है। जैसे बहुविवाह, जुआ, शराब, सूदखोरी आदि को दूर करना व निषेध करना है। कुरान केवल धर्मग्रंथ न होकर विधिक, नैतिक, राजनैतिक व दंड नियमों से परिपूर्ण है तथा अपराध के अंतर्गत चोरी व वध हेतु दंड का निर्धारण भी करता है।

कुरान का पहला अध्याय सबसे बड़ा होकर उसके बाद के अध्याय छोटे क्रमबद्ध रूप में है। कुरान में 200 विधि संबंधित आयतों से सम्बंधित हैं जिनमें से 80 पारिवारिक विधि से संबंधित होकर उनमें नियमों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध, शांति के समय, दुश्मन की संपत्ति का विभाजन एवं दोस्ताना व्यवहार को स्वीकार किया गया है। कुरान का जब भी अर्थान्वयन या निर्वचन किया जावेगा। तो वह उसकी व्याख्यानुसार ही किया जायेगा। (आगा मोहम्मद बनाम कुलासुम बीबी (प्रीवी कौंसिल 1897)

कुरान का मुस्लिम विधि में योगदान

कुरान का मुस्लिम विधि में योगदान जानने से पहले यह जरूरी है कि मुस्लिम कौन है, मुस्लिम विधि क्या है तथा यह किन पर लागू होती है? मुस्लिम विधि मुसलमानों की व्यक्तिगत विधि होकर केवल मुसलमानों पर ही लागू होती है। कुरान के अनुसार कलमा, नमाज, रोजा, जकात तथा हज मुस्लिमों के प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान हैं। मुस्लिम विधि में धर्म के पांच आधार स्तम्भों में आस्था विश्वास रखने वाले मुसलमान कहलाते है। इस्लाम में आस्था रखने वाले एक मुस्लिम का कुरान प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। जिसके अनुसार अल्लाह एक है व पैगम्बर साहब उनके एकमात्र रसूल (दूत) है। कोई भी मुस्लिम उक्त पांचो स्तम्भों में आस्था रखे बिना मुस्लिम नहीं हो सकता है। मुसलमान दो तरह से होते हैं (1) जन्मजात मुस्लिम (2) संपरिवर्तन द्वारा मुस्लिम ।

मुस्लिम विधि कुरान पर आधारित है। इसका कुरान से अलग हटकर कोई वजूद नहीं है। कुरान मुस्लिम विधि का मूल प्रमाणिक स्त्रोत है तथा मुस्लिम विधि के विकास के समस्त स्त्रोत भी कुरान पर ही आधारित है। इसमें लगभग 200 आयतों में विधि नैतिकता से संबंधित होकर तथा इनमें से 80 आयतें केवल पारिवारिक विधि से संबंधित उल्लेख किया गया है। मुस्लिम विधि का उद्भव अलकुरान या कुरान से हुआ है। जिसके अनुसार आदिकाल से ही अल्लाह की सत्ता मानी जाती है। कुरान में धर्म अध्यात्म के अलावा विधि शास्त्र भी समायोजित है जो कि शरीयत का मुख्य आधार स्तम्भ है। पैगम्बर साहब की मृत्यु से पूर्व दस वर्ष के काल में अब्दुल रहीम साहब के अनुसार इस काल को इस्लाम का विधायी काल कहा गया है। अलकुरान मुस्लिम विधि का प्रधान स्त्रोत दूसरा यह अल्लाह के शब्दों में ही लिखित है। मूलतः इसका उद्देश्य समाज में सुधार करना व कुरीतियों व त्रुटियों का दूर करना व निषेध करना है यह केवल धार्मिक ग्रंथ न होकर विधिक नैतिक धर्म, राजनीतिक आदि से संबंधितों का भी समावेश है।

विभिन्न न्यायालयों का कुरान के संबंध में अभिमत

(1) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने मोहम्मद इस्माईल बनाम अब्दुल रशीद ए.आई.आर.1956 इलाहाबाद पूर्ण पीठ में निर्धारित किया गया कि प्राचीन भाष्य होने के कारण कुरान को अमान्य नहीं किया जा सकता है कि यह विधिक प्रतीत नहीं होता।

(2) आगा मोहम्मद जफर बनाम कुलसुम बीबी, (1897) 253 सीरिज 99 में प्रीवी कौंसिल ने निर्धारित किया कि कुरान के एक अंश का निर्वचन जो कि हिदाया व इमामिया में जो कि सुन्नी व सियाओं से संबंधित है, में एक निश्चित अर्थ में माना गया है या तो उससे भिन्न अर्थ न्यायाधीश द्वारा किया जाना अमान्य है।

(3) शेख दादा बनाम शेख मस्तान बी 1995 (1) क्राईम्स 34 में अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय कुरान का निर्वचन नहीं कर सकता है।

(4) नरनतक्य बनाम पाराक्कल, ए.आई.आर. 19 मद्रास 171, में मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मुसलमानों का इस तरह का विश्वास है कि खुदा एक है और मोहम्मद उनके पैगम्बर है यह मुस्लिम विधि का आवश्यक तत्व है।

(5) अब्बास अली सहाय बनाम मोहम्मद सहाय ए.आई.आर. 1951 म.प्र.92 में निर्धारित किया गया कि रूढ़ि या प्रथा को कुरान या सुन्ना से प्रत्यक्ष संदर्भ में विरूद्ध नहीं होना चाहिए।

निष्कर्ष

उक्त शोध के उपरांत यह समझते हैं कि मुस्लिमों पर मुस्लिम विधि आधुनिक भारत में उन पर वैयक्तिक विधि के रूप में लागू होती है और कुरान उनका एक मात्र प्रमाणित मान्य ग्रंथ होकर मुस्लिम विधि का मूल स्त्रोत है। जिसकी लगभग 200 आयतें विधिक व नैतिक रूप में जिनमें से 80 पारिवारिक विधि से संबंधित है यह ग्रंथ जिब्राईल फरिश्ते के माध्यम से पृथ्वी पर पैगम्बर साहब के समक्ष अल्लाह के संदेशों के रूप में अंतर्विष्ट है जिसको कि प्रत्येक मुस्लिम मानने के लिए बाध्य है। यह इस्लाम धर्म का मुख्य आधार है अल्लाह एक है पैगम्बर साहब उनके रसूल है तथा कुरान भी एक है। समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों व त्रुटियों का निषेध व्यवहार करने व दण्ड निर्धारित करने के तरीकों का समावेश कुरान में किया है। जिनमें विधिक, नैतिक राजनैतिक, पारिवारिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रकाश डाला गया है।

कुरान के आधार पर ही मुस्लिम विधिवेत्ताओं ने एक पूर्ण मुस्लिम विधि का सृजन किया है (नवाज -इस्लामिक लॉ इन मार्डन इण्डिया 63)

कुरान में कहा गया है कि जो पैगम्बर साहब देते हैं, उसे स्वीकारो क्योंकि पैगम्बर साहब स्वंय नहीं अल्लाह की इच्छा से बोलते हैं अर्थात अल्लाह व उनके रसूल पैगम्बर साहब की बातों को मानो व उन पर अमल करो।

सन्दर्भ सूची

1. अल कुरान
2. हदीस
3. मुस्लिम विधि, अकील अहमद, सेंट्रल लॉ एजेंसी
4. आधुनिक मुस्लिम विधि, पारस दीवान, इलाहबाद लॉ एजेंसी पब्लिकेशन दसवां संस्करण (2017)
5. धार्मिक पत्र-पत्रिकायें